

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 146 जयपुर/2014-15

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री थार
सोसाइटी जिला-जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 23 माह मई सन् दो हजार चाक

को जयपुर में किया गया।



3/11
रजिस्ट्रार संस्थाएं व याता
रजिस्ट्रार संस्थाएं, जयपुर